ANKIT
Page No.
Date

R.M.M. Law College, Saharsa
Narendra Anand
LL.B Part 1st
Paper – IInd
Constitutional Law

नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन नागरिकता

अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के पश्चात नागरिकता प्राप्त करने और उसके समाप्त होने से सम्बन्धित बातों के लिए उपलब्ध करता है। इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित पाँच प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है:-

(1) जन्म से नागरिकता :-

संविधान लागू होने के पश्चात भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। यह एक सामान्य नियम है। इसके कुछ अपवाद भी हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, यदि उसके जन्म के समय उसके पिता को ऐसे कानूनी प्रक्रियाओं से निमुक्ति प्राप्त थी जो भारत के कूटनीतिक राजदूतों को प्रदान की जाती है या उसके पिता एक विदेशी शत्रु है और उसका जन्म ऐसे स्थान में होता है जो उस समय शत्रु के कब्जे में है (परन्तु 1986 के संशोधन अधिनियम के अनुसार ऐसे लोगों को नागरिकता तभी मिलेगी जब इनके माता पिता उनके जन्म के समय भारत का नागरिक हो।

(2) वंशक्रम द्वारा नागरिकता की प्राप्ति :-
कोई ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ है, भारत का नागरिक होगा, यदि उसके जन्म के समय में उसका पिता वंशक्रम से भारत का नागरिक रहा हो। परंतु यदि किसी व्यक्ति का पिता केवल वंशक्रम से भारत का नागरिक है तो वह व्यक्ति तब तक भारत का नागरिक नहीं होगा जब तक कि उसका जन्म किसी भारतीय कांसुलेट में एक निश्चित अवधि के भीतर पंजीकृत न कर लिया गया हो।

(3) रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता की प्राप्ति -
कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रीकरण द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है -
(क) भारत में जन्मा व्यक्ति हो (ख) भारत का व्यक्ति जो आमतौर पर विदेश में निवास करता हो, (ग) भारतीय नागरिकों की पत्नियाँ, (घ) भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे (ङ) प्रथम अनुसूची में वर्णित देशों के नागरिक।

(4) देशीयकरण द्वारा नागरिकता :-
कोई भी विदेशी व्यक्ति जो वयस्क हो चुका है प्रथम अनुसूची में वर्णित देशों का नागरिक नहीं है, भारत सरकार के निर्धारित प्रपत्र पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है कुछ निर्धारित शर्तों के आधार पर यदि भारतीय सरकार संतुष्ट है तो वह आवेदक को देशीयकरण का प्रमाणपत्र दे सकता है।

(5) भारत सरकार बिना शर्त के उन्हें नागरिकता दे सकती है जिन्होंने विज्ञान, कला, दर्शन, साहित्य

निरन्तराँति या मानसिक प्रगति के हेतु विशिष्ट सेवा की हो।

(6) अर्जित भू भाग के सम्मीलन द्वारा :-
यदि कोई नया भू-भाग भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाता है तो भारत सरकार विज्ञप्ति द्वारा उन व्यक्तियों का उल्लेख करेगी जो उस भूमि के सम्मिलित किये जाने पर भारत के नागरिक हो जायेंगे।

नागरिकता की समाप्ति :-

(1) नागरिकता का परित्याग
(2) दूसरे देश की नागरिकता स्वीकारने पर
(3) नागरिकता से वंचित किया जाना